न्यायालय न्याय निर्णय [illegible] एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
23 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	29.04.2024	21.01.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा निवासी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502 मोबाईल नं. 9887605218।

2–मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री मदनलाल शर्मा स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 21/01/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.11.2023 को समय 03:45 पी.एम. पर मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मदनलाल शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के 3 डिब्बों में लगभग 20 किलोग्राम **मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री मदनलाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह दुकान में रखे कागज के 3 डिब्बों में लगभग 20 किलोग्राम **मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट)** में से मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट) को पूर्णतया होमोजिनियस कर 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, ज्यों का त्यों नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट)** 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भग को साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर प्रत्येक डिब्बें में 500–500 ग्राम भरकर प्रत्येक डिब्बे में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3919 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3919 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1257 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/4857/एक्ट/2023/5080 दिनांक 07.12.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री मदनलाल शर्मा स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया जा रहा था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/1/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक